

राजस्थान विधान सभा
द्वितीय सत्र
कार्य-सूची
बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2014
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री बंशीधर, सदस्य, विधान सभा, नगरपालिका खण्डेला द्वारा नदी-नालों के बहाव क्षेत्र में अवैध रूप से पट्टे जारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र हवामहल स्थित गंदे नालों की सफाई करवाने के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, प्राक्कलन समिति 'क' 2014-2015 प्राक्कलन समिति 'क' 2011-2012 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी।

4. विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-
- राजस्थान सिविल न्यायालय
(संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-19)
- “राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।”
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014

राजस्थान विनियोग (संख्या-3)
विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-13)

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"वित्तीय वर्ष 2014-2015 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान वित्त विधेयक, 2014

राजस्थान वित्त विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-14)

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिये राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने एवं कतिपय अन्य प्रावधान करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान राज्य में कतिपय वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर अवसंरचना विकास उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

तौफीक हुसैन हाशमी
उप सचिव (सामान्य)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 28 जुलाई, 2014